2·3

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पर्यया पौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निमार्ण कार्य का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत लम्बाई 7.750 किमी0।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 25/07/2019 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री गोपाल राम दरियाल (अनुभाग अधिकारी) एवं राजेन्द्र धामी. (वनरक्षक), राजस्व विभाग की ओर से जीनत अन्सारी. (राजस्व उपनिरीक्षक), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री गौरव जोशी (कनिष्ठ अभियन्ता) द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

सिविल एवं सोयम वन भूमि मलुवानिस्तारण सहित **2.975** है0, नाप भूमि **3.600** है0 एवं हाल बन्दोबस्ती नक्शों में प्रदर्शित नही एवं भू–अभिलेखों में अंकित नही भूमि **0.900** है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से पर्यया पौड़ी तोली ग्वालगांव की कुल 1701 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि एवं नाप भूमि पर 230 वृक्षों का है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)......ø......

....

....

....

ह0/– (Sd.)
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह0/– (Sd. Ansari)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र/तोली
तहसील धारचूला
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/–
तहसीलदार
धारचूला
उप जिलाधिकारी
धारचूला
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह0/–
(जिलाधिकारी)

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)
(प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

वनदरोगा

ह0/–
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)